प्रेस नोट
जनपद-संतकबीरनगर
दिनाँक 11.03.2026

जनपद संतकबीरनगर को IGRS व CM डैशबोर्ड रैंकिंग में प्रदेश में मिला क्रमशः प्रथम व पांचवा स्थान; पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनसुनवाई प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए जनपद संतकबीरनगर पुलिस ने IGRS (Integrated Grievance Redressal System) और CM डैशबोर्ड की नवीनतम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में क्रमशः प्रथम व पांचवा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय ने IGRS सेल/सीएम डैशबोर्ड में तैनात प्रभारी उ0नि0 श्री रजनीश राय, उ0नि0 श्री ब्रजेश सिंह तथा उनकी टीम के सदस्यों हे0का0 आदर्श श्रीवास्तव, का0 विकास यादव, का0 धनंजय शर्मा, का0 लल्लन पाल तथा हे0का0 धृष्टधुम्न सिंह, का0 चन्दन कुमार साहनी (सीएम डैशबोर्ड) को उनकी कार्यकुशलता, समयबद्धता और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

महोदय ने बताया कि जन शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करना और फीडबैक में जनता की संतुष्टि प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे इस टीम ने अपनी मेहनत से संभव कर दिखाया। सम्मान प्रदान करते हुए महोदय ने सभी पुलिसकर्मियों के समर्पण की प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भविष्य में भी इसी ऊर्जा के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया।

"यह उपलब्धि पूरी टीम की सामूहिक मेहनत और जनसेवा के प्रति उनके अटूट समर्पण का परिणाम है। हमारा लक्ष्य न केवल रैंकिंग में शीर्ष पर बने रहना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि जिले का हर पीड़ित व्यक्ति न्याय से संतुष्ट होकर लौटे।" — पुलिस अधीक्षक, संतकबीरनगर

IGRS सेल ने शिकायतों के निस्तारण में न केवल गति (Speed) का ध्यान रखा, बल्कि गुणवत्ता (Quality) मानकों पर भी खरा उतरते हुए डिफ़ॉल्टर की संख्या को शून्य पर बनाए रखा। जनपद की इस उपलब्धि से पुलिस विभाग के साथ-साथ आम जनमानस में भी हर्ष

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 233 वाहनों से 02,98,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 11.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 233 वाहनों से 02,98,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभय नाथ मिश्र*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 11.03.2026 को थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 105/2026 धारा 64(1), 87, 137(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी को दुल्हापार चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 28.02.2026 को थाना धनघटा पर बाल अपचारी के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, हे0का0 बदरे आलम।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के अपराध में अभियुक्त को मा0 न्यायालय उठने तक का कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 09.03.2026 को माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) FTC-प्रथम जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को मा0 न्यायालय उठने तक का कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा थानाध्यक्ष महुली श्री पी0के0 झा द्वारा थाना महुली पर अभियुक्त लखन पुत्र हिम्मत निवासी निर्मली कुण्ड थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती को 01 अदद 12 बोर अवैध देशी तमन्चा के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री शिव प्रताप सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 195/1998 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय उठने तक का कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत थाना दुधारा के साइबर सेल द्वारा साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को शत प्रतिशत की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में *क्रैक साइबर क्राइम अभियान* के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर सेल थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 3765 रुपये की शत प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस कराई गयी।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:- थाना दुधारा क्षेत्र के ग्राम मीरापुर निवासी प्रदीप के साथ दिनांक 06.01.2026 को अज्ञात साइबर ठगों द्वारा 3765 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। ठगी का शिकार होने के उपरांत आवेदक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल अगले दिन दिनांक 07.01.2026 को साइबर थाना दुधारा में अपनी शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस टीम की कार्यप्रणाली:- मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना दुधारा की साइबर टीम ने अविलंब तकनीकी विश्लेषण शुरू किया, टीम के सदस्य आरक्षी ऋषिकेश यादव, हेमन्त कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित गेटवे और बैंक अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया और फ्रॉड की गई राशि को फ्रीज कराया, निरंतर फॉलोअप के परिणामस्वरूप आज आवेदक के बैंक खाते में धोखाधड़ी की 3765 रुपये की शत प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस कराई गयी।

सराहनीय भूमिका निभाने वाली साइबर सेल थाना दुधारा पुलिस टीम:-

- उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा
- आरक्षी हेमन्त कुमार
- आरक्षी अनुज कुमार
- आरक्षी ऋषिकेश यादव

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील करती है कि:-
•किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर किसी अज्ञात खाते में पैसा ट्रांसफर न करें।
•बैंक अधिकारी बनकर आने वाले संदिग्ध कॉल / मैसेज पर विश्वास न करें।
•किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।
•साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें या नजदीकी थाने के साइबर सेल को सूचित करें।